APPENDIX - IX

Mandatory Public Disclosure

A: **GENERAL INFORMATION:**

SL NO.	INFORMATION	DETAILS
1	NAME OF THE SCHOOL	MASTERMIND INTERNATIONAL SCHOOL
2	AFFILIATION NO.(IF APPLICABLE)	1030379
3	SCHOOL CODE (IF APPLICABLE)	50345
4	COMPLETE ADDRESS WITH PIN CODE	MAKDON ROAD , TARANA – 456665 DISTRICT – UJJAIN
5	PRINCIPAL NAME & QUALIFICATION:	MR. ASHISH PATIDAR
6	SCHOOL EMAIL ID	50345@cbseshiksha.in
7	CONTACT DETAILS (LANDLINE/MOBILE)	7987803022

B: **DOCUMENTS AND INFORMATION:**

SL NO.	DOCUMENTS/INFORMATION	UPLOAD DOCUMENTS
1	COPIES OF AFFILIATION/UPGRADATION LETTER AND RECENT EXTENSION OF AFFILIATION, IF ANY	APPENDIX – 1
2	COPIES OF SOCIETIES/TRUST/COMPANY REGISTRATION/RENEWAL CERTIFICATE, AS APPLICABLE	APPENDIX – 2
3	COPY OF NO OBJECTION CERTIFICATE (NOC) ISSUED, IF APPLICABLE, BY THE STATE GOVT./UT	APPENDIX – 3
4	COPIES OF RECOGNITION CERTIFICATE UNDER RTE ACT, 2009, AND IT'S RENEWAL IF APPLICABLE	APPENDIX – 4
5	COPY OF VALID BUILDING SAFETY CERTIFICATE AS PER THE NATIONAL BUILDING CODE	APPENDIX – 5
6	COPY OF VALID FIRE SAFETY CERTIFICATE ISSUED BY THE COMPETENT AUTHORITY	APPENDIX – 6

7	COPY OF THE DEO CERTIFICATE SUBMITTED BY THE SCHOOL	APPENDIX – 7
	FOR AFFILIATION/UPGRADATION/EXTENSION OF	
	AFFILIATIONOR SELF CERTIFICATION BY SCHOOL	
8	COPIES OF VALID WATER, HEALTH AND SANITATION	APPENDIX - 8
	CERTIFICATES	

NOTE: THE SCHOOLS NEEDS TO UPLOAD THE SELF ATTESTED COPIES OF ABOVE LISTED DOCUMETNS BY CHAIRMAN/MANAGER/SECRETARY AND PRINCIPAL. IN CASE, IT IS NOTICED AT LATER STAGE THAT UPLOADED DOCUMENTS ARE NOT GENUINE THEN SCHOOL SHALL BE LIABLE FOR ACTION AS PER NORMS.

C: **RESULT AND ACADEMICS**:

S.NO.	DOCUMENTS/INFORMATION	UPLOAD DOCUMENTS
1	FEE STRUCTURE OF THE SCHOOL	APPENDIX – 9
2	ANNUAL ACADEMIC CALANDER.	APPENDIX – 10
3	LIST OF SCHOOL MANAGEMENT COMMITTEE (SMC)	APPENDIX – 11
4	LIST OF PARENTS TEACHERS ASSOCIATION (PTA) MEMBERS	APPENDIX – 12
5	LAST THREE-YEAR RESULT OF THE BOARD EXAMINATION AS PER APPLICABLILITY	APPENDIX - 13

RESULT CLASS: X

S.NO.	YEAR	NO. OF REGISTERED STUDENTS	NO. OF STUDETNS PASSED	PASS PERCENTAGE	REMARKS
1	2019	22	17	77.27 %	Good
2	2020	13	10	77 %	Good

RESULT CLASS: XII

S.NO.	YEAR	NO. OF REGISTERED STUDENTS	NO. OF STUDETNS PASSED	PASS PERCENTAGE	REMARKS
1	2019	10	7	70 %	Good
2	2020	11	11	100 %	Good


D: **STAFF (TEACHING)**

S.NO.	INFORMATION	DETAILS
1	PRINCIPAL	APPENDIX – 14
2	TOTAL NO. OF TEACHERS	24
	o PGT	8
	o TGT	6
	o PRT	10
3	TEACHERS SECTION RATIO	1.5 PER SECTION
4	DETAILS OF SPECIAL EDUCATOR	Miss. SHRISHTI SHARMA
5	DETAILS OF COUNSELLOR AND WELNESS TEACHER	Mrs. KIRTI PATIDAR

E: SCHOOL INFRASTRUCTURE:

S.NO.	INFORMATION	DETAILS
1	TOTAL CAMPUS AREA OF THE SCHOOL (IN SQUARE MTR)	11600
2	NO. AND SIZE OF THE CLASS ROOMS (IN SQ FTMTR)	30 (8 * 6 Meters)
3	NO. AND SIZE OF LABORATORIES INCLUDING COMPUTER LABS (IN SQ MTR)	6 (9 * 6 Meters)
4	INTERNET FACILITY (Y/N)	YES
5	NO. OF GIRLS TOILETS	20
6	NO. OF BOYS TOILETS	25
7	LINK OF YOUTUBE VIDEO OF THE INSPECTION OF SCHOOL COVERING THE INFRASTRUCTURE OF THE SCHOOL	https://youtu.be/URExuE1BY JU

APPENDIX - I



केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CENTRAL BOARD OF SECONDARY EDUCATION

YEARS OF CELEBRATING THE MANATHA Dated: 106 /2019

NO . CBSE/AFF/ 1030379/EX-03164-1819/2019/1494029

THE MANAGER,
MASTER MIND INTERNATIONAL SCHOOL,
MAKDON ROAD, TEHSIL - TARANA,
POST - CHHADAWAD, UJJAIN,

Subject: Extension of General Affiliation up to Secondary & Senior Secondary Level – regarding

Ref: Application No. EX-03164-1819

MADHYA PRADESH - 456 665

With reference to your application on the subject cited above; I am directed to convey the approval for Extension of General Affiliation as per details given below

Affiliation No.	1030379		
Affiliated for	Secondary School Examination and Senior Secondary School Certificate Examination		
Category	Extension of General Affiliation		
Period of Extension of General affiliation			

The facilities reported at the time of inspection:

S.No.	Detail	Size
1	Area on which school Campus	11600 Sq. mtrs
2	Area of play ground	900 Sq. mtrs

The above sanction is subject to fulfilment of following conditions:-

- The school will follow the RTE Act, 2009 and instructions issued thereon by the CBSE/Respective State /UT Govt. from time to time.
- 2. The School is required to apply on online for further extension of affiliation along with the requisite fee and other documents as per Rule 10.3 of Affiliation Bye Laws.
- The school will also abide by the conditions prescribed, if any, by the State Government concerned as mentioned in certificate as per appendix III issued by District Education Officer (DEO) /equivalent officer.
- 4. The school should ensure the strong governance and management of its activities in way of comprehensive and quantifiable planning in way of curriculum planning, infrastructure, resources, physical education, staff development and other co-curricular areas.
- 5. The school will strictly adhere to all rules regarding safety of students including Fire fighting and Transportation, etc. Further, school will provide adequate facilities for potable drinking water and clean healthy and hygienic toilets with washing facilities for boys and girls separately in proportion to the number of students.
- 6. The school should go through the provision of Affiliation and Examination Bye Laws and keep a copy there of for reference purpose and also advised to visit CBSE websites i.e. http://cbseacademic.nic.in/ & http://cbse.nic.in/ for updates. The School is expected to see all circulars on these CBSE websites regularly.
- Admission to the school is to be restricted as per relevant rules of Examination Bye-laws and rule 2.4.5, 2.6.5, 7.1, 7.2, 8.4.2, 8.4.10 & other relevant rules of Affiliation bye laws.
- 8. The school is required to follow rule No.2.4.7 and 2.4.8 of Affiliation Bye Laws regarding Books and Quality of Education
- 9. The number of sections in the school are restricted to 19 as per number of classrooms reported by the IC and shall not be increased without specific approval of the Board. For increase in number of sections, the School shall apply online to the Board as per rule 15.7 of affiliation bye laws



केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CENTRAL BOARD OF SECONDARY EDUCATION



-2.

- The school shall be solely responsible for any legal consequences arising out of the use of school name/logo/society/trust or any other identity related to running of school affiliated to CBSE. The school shall also be liable to bear all legal charges incurred by the Board, if any, arising out of these circumstances.
- 1. The school must strive to promote conservation of environment on their campus through rain water harvesting, segregation of waste at source, recycling of organic waste, proper disposal of waste including electronic waste, use of energy saving and energy efficient electrical equipment, greening of campus, use of solar energy, education and awareness amongst children on environment conservation and cleanliness etc.
- 2. The school shall submit their information through Online Affiliated School Information System (OASIS) as per details given in circular no. affiliation-06/2018 dated 24.04.2018. Link for OASIS is available on Board's website: www.cbse.nic.in.
- 3. The optimum Section teacher ratio of 1:1.5 as well as student teacher ratio of 30:1 is to be maintained to teach various subjects and school shall appoint qualified and trained teaching staff on regular basis as per provisions of Affiliation Bye Laws of the Board.
- 4. Every affiliated school shall sponsor regularly its bonafide and eligible students in Boards Class X and Class XII examinations from the year mentioned while granting affiliation/upgradation regularly without break or inform with reasons thereof in writing well in time about the non-sponsoring of the candidates.
- 5. Running of **coaching institutions** in the school premises in the pretext of providing coaching to the students for various examinations is not permitted by the Board. Strict action would be taken on defaulters
- 16. The Manger and the Principal of the school shall be jointly responsible for the authenticity of the online/offline documents/ information/data submitted by the School to the Board.
- 17. Apart from rules to be adhered to by the school as mentioned above for drawing specific attention of the school authorities, the school authorities are required to acquaint themselves with all the rules contained in Affiliation & Examination Bye-laws and circulars/guidelines/notification issued by the Board from time to time. Any laxity in following rules/instructions of the Board will lead to action against school as per Chapter 12 of Affiliation Bye-laws-2018.

JOINT SECRETARY (AFFILIATION)

Copy to:

1. The Principal, Master Mind International School, Makdon Road, Tehsil -Tarana, Post - Chhadawad, Ujjain, Madhya Pradesh – 456 665

2. The Regional Officer, Regional Office, CBSE, Todarmal Marg, Ajmer – 305 030

3. The Research Officer (Technology), AMC, CBSE Preet Vihar, Delhi- with a request to update records.

JOINT SECRETARY (AFFILIATION)



क्र. निर्माणकर्ताओं के पिता / पित के नाम , पते एवं व्यवसाय

1	श्री बलराम पाटीदार	अध्यक्ष	17 , सियाराम सदन , हॉस्पिटल रोंड ,	कृषि
	आ.श्री भगवान पाटीदार		तराना , उज्जैन	
2	श्री किशोर सिंह अंगर	उपाध्यक्ष	माता जी पाइल्या , सारंगपुर	कृषि
	आ.श्री धनसिंह अंगर			
3	श्री चंद्रप्रकाश अंगर	सचिव	माता जी पाइल्या , सारंगपुर	कृषि
	आ.श्री किशोर सिंह अंगर			
4	श्री घनश्याम पाटीदार	सहसचिव	बस स्टैंड , सारंगपुर	कृषि
	आ.श्री भगवान सिंह पाटीदार			
5	श्री सत्यनारायण खरोलिया	कोषाध्यक्ष	अकोदिया नका , सारंगपुर	कृषि
	आ.श्री भगवान सिंह पाटीदार			
6	श्री ललित पाटीदार	सदस्य	माता जी पाइल्या , सारंगपुर	कृषि
	आ.श्री किशोर सिंह पाटीदार			
7	श्री भगवान सिंह खरोलिया	सदस्य	माता जी पाइल्या , सारंगपुर	कृषि
	आ.श्री दयाराम खरोतिया			

मध्य प्रदेश शासन स्कल शिक्षा विभाग मंत्रा तय वल्भ भवन, भोपाल-462004

क्रमा के एक 73-80/2004/20-1,

भोपात, दिनां त 30-06-07

सचिव, केन्द्रीय नाध्यमिक शिक्षा मण्डल, ्रप्रीत विवार, नई दिल्ला ।

अशासकीय मेरवा मास्तर माईड इन्डरनेशनम स्थूल गाक्र होता रोड तराना विला उज्येन - -

को सी. दी. एत. ई/मार्ड वी एक ई नई दिल्ली ते सम्बद्धता देता. अना पतिल प्रमाप यत्र देने दा बत्।

राज्य शासन हाता अगानतीय नेत्था मान्टर मार्डेड इन्टरनेशनत त्कृत मान्द्रीन रोड्ड तराना पिया उन्हेन - - - को ती था रत ई. /आई ली पर है, तर्द पिल्ली हे सम्बद्धता हेतु अना परित प्रमाण पत्र निम्मानियत तर्ती पर दिया जाता है:-

> प्रदेश में शिलत की जो लेल्याई स्थापित ही मुकी है,उनका नाम प्रदेश के एनकों के नार्ध्यमिक शिक्षा नण्डल की नित्त तक है। हम संस्था का कार्यका रिणी में माप्ना माध्यामिक क्षिन्न सम्बन्ध है प्रतिनिधि/अधिकारी को नामांकित किया जाये।

विभिन्न अवसरों पर हांत्रों के आयोजित होने वाते महिलातक एवं वेनक्द कार्यक्रम तथा अन्य शाध-विक्षको हो योजन्तिथियो के लिये वेल का नैवान शामाबास भवन सुविधा आहें आनायकता-नुसार उपलब्ध प्रवासी । इत हेतु तंत्रमा ते बधन दम नियादी वादे ।

इन क्याओं व नेवानव में जीनविमतना की विकासन हाए। होते. पर विभाग हाता प्रापितृत अधिकारी को संस्था वा निर्माहत है आदि करने हा विकास दोना ।

केन्द्रीय माध्यामक शिक्षा मण्डल या अन्य बोर्ड से तम्बद्धता निस्ते के उपराति भी के हर राज्य शासन व लोक शिक्ष्म संवालनालय द्वारा समय-समय पर शिक्षा के प्रदेश सर्वे विकास के तथ्य में जारी निर्देशों का पान पत्र करने का वयन-पत्र संस्था से ह्राप्त किया जायेगा । मेंस्था की ह्रायेश कारिणा लिक्षित में कर ग्रासन, स्कूम हिश्रा निभाग का एक हाति निधा कार्यकारिणा लिक्षा में तिमानित कर ना अनिवार्ड सोगा है।

्रिप्रेश के प्रेन आयोजनों, सांस्कृतिक आयोजनों, विकारन मेनर ता आयोजन आदि में सहायोग सर्व सार्थक भूमिका प्रदान करेंगे।

अभारकीय विसंग तैन्धाओं द्वारा प्रवेत तैरीयो नियम प्रक्रिया तथा तिथारित शुंलक थ्या-समग प्रकाशित किये जायेंगे । शिक्षण हुन्क नेमें विधारकों का शोधण नहीं किया जारेगा ।

ाक्र-ग्राप्ताओं हो जाताओं में लगेने बाते पुस्तकें एवं तेवन नामग्री अर्ला स्थान के ए सके की स्वतिता कोर्ना । निर्मा हुकार निर्मेण में क्रुप्त करने की बाध्यता नहीं रहेगी ।

पिक्षण संस्थाओं में माननीय उपयतम न्यायातम द्वारा किये गये। निर्देशी के अनुसार क्रियाशीन अगिनं शमन येत्रों की आवश्यक रूप से त्यवस्था होगी तथा इस नैयंथ में भारत सरकार द्वारा ग्रैक्षांपक तैत्थाओं के नैयंथ में समय-समय पर जोरी किये जाने वाले निर्देशों का पालन किये संस्थाओं को करना होगा।

संस्था के ग्रामी को उनके निवास है विधानय तर लाने में या कि निवास तक मेलने के तिये परिपंडन विभाग द्वारा की गए अपूर्णत प्राप्त की देश वाहनों का की उपनीय दिया आदेशा । भागी भी कुएशा की दुर्गकट ने इस देत उपयोग विधे आने वाले साथकों की किसी भी देहे ज्याराता साधन की बरेल् ईंग्स्टर्स का जिसे सेगा तित नहीं किया या का ।

निरंतरः उन्हें,

be

一 3

निःशक्त ग्रात्रों के लिये तिथा को रेम्य की व्यवस्था करना आवश्यक होगा । कोई भी तस्था निःशक्त ग्रात्रों को प्रदेश देने से इन्हार नहीं करेगी । इस तद्य में प्राप्त शिकायत यदि सिद्ध थाई गई तो तस्था का अनायित प्रमाण-पत्र समाप्त करने की कार्यवाही की जा सकेगी ।

संस्था के पुस्तकालय में जाति सर्व धर्म के आधार पर भेद-भाव तथा। साम्प्रदायिकता को बद्धावा देने वाले किन्ही पुस्तकों का लग्नहण नहीं किया जायेगा और भारत सरकार सर्व मध्य प्रदेश शासने द्वारा प्रतिवैधित पुस्तकें भी नहीं रखी जा सकेगी।

> मध्य प्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार

> > ्रे. ए. एत. पगारे ्र् अदर सचिव इ. इ. शालन, स्कूल जिल्ला विभागे भोगान, दिनाँच 30-06-02-

पुष्टतीक क्रमांक एक १३-४५ /2005/20-3, श्रीतिकांपः-

आ दुक्त, लोठ शिक्षण संवालनालय, म- प्र- भोषाल ।

जिला शिक्षा आधेकारी, जिला किला उल्लेन १०० प्रहे । प्राचार्य, अग्रासकीय शिक्षण संस्था महिल्द महिले हे हे स्टरनेशनल हे के भाकत्रीन होडे तराना, जिला : उपलेन - - - - - - -आर्डर युका।

की और स्वनार्ध सर्वे आवर यह कार्यवाची हेतु ओपित ।

Sulver 1

APPENDIX - 4

School Recognition Certificate generated and downloaded from Education Portal [www.educationportal.mp.gov.in]

प्ररूप 2 (नियम 11 (4) देखिए) क्षित क अध्यय

कार्यालय, जिला शिक्षा अधिकारी (UIIAIN), मध्यप्रदेश

फैक्स: ई-मेलः दरभाषः-

क्रमांकः/21126249/स्कूल आई.डी. - 3679

दिलाक - 27/01/2017

प्रवंधक.

(MASTER MIND INTERNATIONAL SCHOOL TARANA)

विषयः निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 की धारा 18 के प्रयोजन के लिए निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम,2010 के नियम 11 के उपनियम (4) के अधीन स्कूल मान्यता प्रमाण पत्र।

आपके आवेदन पत्र दिनांक 01/01/1900 तथा इस संबंध में स्कूल से पंचातवर्ती पत्र ट्यवहार/ निरीक्षण के संदर्भ में, मैं आपकी स्कृत -MASTER MIND INTERNATIONAL SCHOOL TARANA, MAKDON ROAD TARANA को कक्षा Nursery से कक्षा 8 तक के लिए दिनांक 01/04/2017 से 31/03/2020 तक कालावधि के लिए मान्यता प्रदान करता हूं।

- उपरांत स्वीकृति निम्नलिखित शती की पूर्त के अपन्योत अद्योत करता हूं।

 मान्यता विस्तारित नहीं हागी तथा करता 8 से आगे की मान्यताश्री इता का कोई बाध्यता किसी भी रूप में विविधित नहीं हागी।

 स्कूल निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिला का अधिकार अधिनियम, 2009 (उपावेष 1) तथा निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिला का अधिकार निया ।

 स्कूल, अपने पड़ीस की सीमा के विद्या समुद्र तथा करजार वरा के बालकों को करता 1 में न्यूनतम 25 प्रतिशत पर्वश देगा।

 स्कूल, अपने पड़ीस की सीमा के विद्या सम्मार वरा के बालकों को करता 1 में न्यूनतम 25 प्रतिशत पर्वश देगा। उस दया में, स्कूल यदि सहायता प्राप्त स्कृत है तो इसमें प्रवेशित बालकों को उस अनुपात में निश्चलक और अनिवार्य प्रार्थिक शिला देगा। जिस कर में उसके बाविक अवती हम्म करते हैंतु इस प्रकार वाषिक आवती सहस्ता या अनुपात मान होता है कित यह स्मृततम पर्वश्रीस प्रतिशत के अधीन होगा बर्वा कि कहा स्कूल में प्रकृत पर्वश्रित सहस्ता या अनुपात मान होता है कित प्रतिभात की प्रार्थित प्रतिशत के अधीन होगा बर्वा कि कहा स्कूल में प्रवेश के लिए लागू होंगे।

 पैरा 3 में निदिद बालकों के लिए स्कूल को प्रथक से विक खाता उपलब्ध कराना होगा।

 सोसाइटीस्कूल कोई भी कैपिटशन पीस का संग्रह नहीं करेगा तथा बालक च उसके पालक या अभिभावक के साथ किसी एउनबीन प्रतिभा को नहीं अपनारागा।

 - प्रक्रिया को नहीं अपनाएगा। स्कूल किसी भी बालक को प्रवेश देने से इंकार नहीं करेगा-
 - (क) आयु के सब्त के अभाव मैं;
 - यदि प्रवेश के लिए बिहित की गई विस्तारित कालावधि के पण्यात् ऐसा प्रवेश चाहा गया है; (**U**)
 - धर्म, जाति या मूखवंश, जन्मत्थान या इनमें से किसी भी आधार पर। (31)
 - स्कूल सुनिधित करेगा कि-
 - किसी स्कूल में प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण होने तक किसी भी वालक को किसी कक्षा में रोका या निष्कासित नहीं किया जाएगा;
 - किसी बालक को पारीरिक या मानसिक रूप से प्रताइत नहीं किया जाएगा;
 - प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण होने तक बालक को कोई बोर्ड परीक्षा उत्तर्ण करने की आवश्यकता नहीं होगी;
 - नियम 19 के अधीन प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण करने वाले प्रत्येक बालक को प्रमाण पत्र दिया जाएगा;
 - अधिनियम के उपबंधों के अनुसार निःशक्ताविशेश आवश्यकता वाले बालकों को समाहित किया जाएगा; अधिनियम की पारा 23(1) के अधीन निर्धारित न्यूनतम योग्यता अनुसार शिक्षकों की भरी की जाएगी; बधाउँ कि वर्तमान में कार्यरत जो शिक्षक इस अधिनियम के प्रारम्भ होने पर न्यूनतम अहेता नहीं रखते हैं, उन्हें अधिनियम के प्रारम्भ होने के दिनांक में 5 वर्ष की अबिधि में निर्धारत न्यूनतम अहेता प्रात करती होगी; शिक्षकों को अधिनियम की धारा 24(1) के अधीन विनिद्धिट कर्तट्यों का पालन करना होगा;

 - प्रायबंट टीचिंग की गतिविधियों में शिक्षक स्वयं भाग नहीं लेंगे/लेंगी।
 - स्कूल समुचित प्राधिकारी व्दारा निर्धारित पाठ्यचर्च का अनुसरण करेगा।
 - अधिनियम की धारा 19 में विहित किए अनुसार स्कूल में उपलब्ध सुविधा के अनुपात में स्कूल में बच्चों का नामांकन किया

School Recognition Certificate generated and downloaded from Education Portal Iwww.educationportal.mp.gov.in]
ক্রেন ক্রেনা এটানিনদ ক্রা থাবা 19 ম ডিমিটিছ দকুল কি মানক ধর মায়েছে ক্রেনা ক্রেনা আইনিন নিটালত কি নামন দকুর স

	उपलब्ध सुविधाएं निम्नानुसार पाई गर्गी.					
	गुविधाएँ		पारेस	मं दर्भ	वार	तबिक स्थिति
S	म्पूल के अवन की स्थिति	स्वयं क	र भवन		स्वयं का भवन	
9	स्कूल का कुल श्रीरकल (वर्ग कीट मैं)	355600	1		355600	
10	स्कूल का मिमित शैरफल (वर्ग फीट मैं)	30600			30600	
11	संस मेदान का श्रीत्रकल (वर्ग फीट में)	122500)		122500	
r.	अधीसंरचना का	विवरण				
		Rooms as	पार	स में दर्ज	वास्त	विक स्थिति
	कल	per RTE	संहवा	ऑसत आकार (वर्ग फीट में)	संख्या	ओसत आकार (बर्ग फीट में)
	कक्षा आठवी तक उपयोग में आ रहे कक्षा कक्ष		20	528	20	528
1	कार्याच्य कक्ष.नह.भण्डार कक्ष.नह.प्रधानाध्यापक कक्ष		4	600	4	600
1	भी जनालय-सह-भण्डार		O	0	0	0
1.	अन्य सुवि	पाएँ			पार्टल में दर्ज	वास्तविक स्थिति
	क्या सभी सुविधाओं तक पहुंच बाधा रहित है हो नहें				87	हा
	पठन पाठन सामग्री (हस्ताक्षरित सूची अपलोड करे)				8 T	हा
	खेलकूट एवं खेल उपकरण (हस्ताक्षरित सूची अपलोह	करें)			8 7	
	पुस्तकी की संहवा				4225	3890
	पविकार/समाधार पत्र				4	4
	पेयजल सुविधा का प्रकार				Well	Well
	पेवजल सुविधा की संख्या				2	2
3	शीयालयं का प्रकार (भारतीय/पश्चिमी/नहीं)				Western	Western
	सहकों के लिए पृथक शीधालमां की सहमा				10	10
٥	लड़किनों के लिए पृथक शीयालमी की संख्या		1 - 2 - 2 - 2		10	10
11	विकलांग बरची के लिए उपयुक्त शीचालयाँ की संख्या				0	0
12	क्या अन्ति मुरक्षा प्रणाली उपलब्ध है ? हो/नहीं				6 ¹	ET.

- लेखे संपरीक्षित किए जाएंगे तथा चार्टेड एकाउन्टेंट खारा सत्यापित होंगे और उचित लेखा विवरण सियमों के अनुसार तैयार होगा। प्रत्येक
- लेखाओं के विवरणों की एक पति प्रतिवर्ष जिला शिक्षा अधिकारी को भेजी जाएगी। आपकी स्कूल का मान्यता कोड सम्बर 21126249. एवं डाईसकोड (DISE) 23210512175 है। इस कार्यालय के साथ प्रजासर में यह कोड सम्बर संदक्षित किए जाएं।
- नदामत किए जाए।

 ऐसी रिपॉर्ट और जानकारी स्कूल ब्याय प्रस्तुत की जाएगी, जो राज्य शिक्षा केन्द्रजिला शिक्षा अधिकारी ब्याय समय-समय पर अपेलित की जाए, और स्कूल राज्य सरकारस्थानीय प्राधिकारी के ऐसे अनुदेशों का पालन करेगा, जैसा कि स्कूल के संघालन की किनयों को दूर करने के लिए अथवा मान्यता की शतों की निरन्तर पूर्ति मुनिचित करने हेनु जारी किए जाएं।

 सोसायटीप्न्यास, यदि कोई हो, के पंजीयन का नवीकरण किया जाएगा।
- अन्य शर्त संसरन उपाबंध 'तीन' के अनुसार होंगी।
- अधिनियम एवं नियम के उपबंधी और मान्यता की शतौं का उल्लंधन पए जाने तथा सिंह हो जाने पर मान्यता बायस से ही जाएग्री।

भवदीय, जिला शिक्षा अधिकारी

जिला MALLU

मध्यपदेश



No. 120:)22

Dated: 1811122

Certified that the MASTERMIND INTERNATIONAL SCHOOL (Name of the building or premises) a MAKDON ROAD, TARANA (address) comprised of -NO - basement(s) - 2 - and TWO (upper floors) owned/occupied by MASTERMIND INTERNATIONAL SCHOOL (name of the Institution) have complied with the fire prevention and fire safety requirements in accordance with rule of State/UT Fire Service Rules, and Verified by the officers concerned of Fire Service on 18/1/22 (date of inspection) in the presenc of RAVI PANCHAL (name and address of the Manager/Secretary or his representative) and that the building/premises is fit for occupancy class E with effect from 18/1/22 for a period of 3 years in accordance with rule and subject to compliance of the conditions.

Issued on 18/1/22 at 12:00 by

• Strike out whichever is not applicable.

Name परिषद् तराना जिला उज्जैन

Designation:

To,

MASTERMIND INTERNATIONAL SCHOOL MAKDON ROAD, TARANA DIST – UJJAIN PIN – 456665

(Name & address of the Institution)

Appendix - VIII

PROFORMA REGARDING SAFE DRINKING WATER AND SANITARY CONDITION CERTIFICATE

No. 38

Date: 18/1/22

It is certified that an inspection team headed by RAVI PANCHAL (Name of officers with designation) from Govt. – Health Department (Name of Department/office) inspected the MASTERMIND INTERNATIONAL SCHOOL, MAKDON ROAD, TARANA (Name & Address of the school) on 18/1/22 and found that the MASTERMIND INTERNATIONAL SCHOOL (Name of School) has safe drinking water facilities for the students and members of staff of the Institution and is maintaining the hygienic sanitation condition in the school building & the campus as per the norms prescribed by the Central/State/U.T Govt.

The above valid for a period of 3 years.

Signature with Seal अधिकारी
Name परिषद् तराना जिला उपजैन

Designation:

To,

MASTERMIND INTERNATIONAL SCHOOL MAKDON ROAD, TARANA DIST – UJJAIN PIN – 456665

(Name & address of the Institution)

कार्यालय नगर पंचायत तराना, जिला - उज्जैन म. प्र

कसांक

न.प /2019

10/01/2019

प्रमाण- पत्र

प्रमाणित किया जाता है की निकाय द्वारा मास्टरमाइंड इन्टरनेशनल स्कूल ,माकड़ोन रोड तराना का निरिक्षण किया गया जिसमे अग्नि से होने वाली दुर्घटना को रोकने के लिए सम्पूर्ण परिसर में अग्नि शमन यंत्र / शिज फायर की व्यवस्था है।

अतः प्रमाण पत्र दिया जाता है ।

भुख्य नगर पालिका अधिकारी

नगर पंचायत सराना जिली - उज्जैन

1

ŧ

APPENDIX - 7

School Recognition Certificate generated and downloaded from Education Portal [www.educationportal.mp.gov.in]

प्ररूप 2 (नियम 11 (4) देखिए) विशा का अधिकार

कार्यालय, जिला शिक्षा अधिकारी (UJJAIN), मध्यप्रदेश

द्रभाषः-

फैक्सः

र्ड-मेलः

क्रमांक /21126249/स्कूल आई.डी. - 3679 प्रति.

दिनांक:- 27/01/2017

प्रबंधक,

(MASTER MIND INTERNATIONAL SCHOOL TARANA)

विषयः निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 की धारा 18 के प्रयोजन के लिए निःशुल्क और अनिवार्य बाल ियन को विषम, 2010 के नियम 11 के उपनियम (4) के अधीन स्कूल मान्यता प्रमाण पत्र। महोदय/महोदया.

आपके आवेदन पत्र दिनांक 01/01/1900 तथा इस संबंध में स्कूल से पश्चातवर्ती पत्र व्यवहार/ निरीक्षण के संदर्भ में, मैं आपकी स्कूल -MASTER MIND INTERNATIONAL SCHOOL TARANA, MAKDON ROAD TARANA को कक्षा Nursery से कक्षा 8 तक के लिए दिनांक 01/04/2017 से 31/03/2020 तक कालावधि के लिए मान्यता प्रदान करता हूं।

उपरोक्त स्वीकृति निम्नलिखित शर्ती की पूर्ति के अध्यधीन होगी:-

- · मान्यता विस्तारित नहीं होगी तथा कक्षा 8 से आगे की मान्यता/संबद्धता की कोई बाध्यता किसी भी रूप में विवक्षित नहीं होगी।
- स्कूल निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 (उपाबंध 1) तथा निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम, 2010 (उपाबंध 2) के उपवंधों का पालन करेगा।
- स्कूल, अपने पड़ोस की सीमा के वंचित समूह तथा कमजोर वर्ग के बालकों को कक्षा 1 में न्यूनतम 25 प्रतिशत प्रदेश देगा। 3स दिया में, स्कूल यदि सहायता प्राप्त स्कूल है तो इसमें प्रवेषित बालकों को उस अनुपात में निःशुल्क और अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा देगा जिस रूप में उसके वार्षिक आवर्ती व्यय को पूरा करने हेतु इस प्रकार वार्षिक आवर्ती सहायता या अनुदान प्राप्त होता है किंतु यह न्यूनतम पच्चीस प्रतिशत के अधीन होगा बशर्त कि जहां स्कूल पूर्व स्कूल (प्रि स्कूल) शिक्षा दी जाती है वहां अधिनियम की धारा 12 की उपधारा (1) के खण्ड (क) से (म) के उपबंध प्रि-स्कूल में प्रवेश के लिए लागू होंगे।
- वैस 3 में निर्दिष्ट चालकों के लिए स्कूल को अधिनियम की धारा 12 (2) के अनुसार व्यय की प्रतिपूर्ति की जाएगी तथा ऐसी प्रतिपूर्ति प्राप्त करने के लिए स्कूल को पृथक् से बैंक खाता उपलब्ध कराना होगा।
- सोसाइटी/स्कूल कोई भी कैपिटेशन फीस का संग्रह नहीं करेगा तथा बालक या उसके पालक या अभिजावक के साथ किसी छानवीन प्रक्रिया को नहीं अपनाएगा।
- ' स्कूल किसी भी बालक को प्रवेश देने से इंकार नहीं करेगा-
 - (क) आयु के सबूत के अभाव में;
 - (छ) यदि प्रवेश के लिए विहित की गई विस्तारित कालावधि के पण्चात् ऐसा प्रवेश चाहा गया है:
 - (ग) धर्म, जाति या मूलवश जन्मस्थान या इनमें से किसी भी आधार पर।
- अनुस सुनित्रात करेगा कि
 - किसी स्कूल में पारंभिक शिक्षा पूर्ण होने तक किसी भी बालक को किसी कक्षा में रोका या निष्कासित नहीं किया जाएगा:
 - किसी बालक को पारीरिक या मानसिक रूप से प्रताड़ित नहीं किया जाएगा;
 - प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण होने तक बालक को कोई बोर्ड परीक्षा उत्तीर्ण करने की आवश्यकता नहीं होगी;
 - नियम 19 के अधीन प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण करने वाले प्रत्येक बालक की प्रमाण पत्र दिया जाएगा;
 - अधिनियम के उपबंधों के अनुसार निःशक/विशेश आवश्यकता वाले बालकों को समाहित किया जाएगा;
 - अधिनियम की धारा 23(1) के अधीन निर्धारित न्यूनतम योग्यता अनुसार शिक्षकों की भर्ती की जाएगी; बशर्त कि
 वर्तमान में कार्यरत जो शिक्षक इस अधिनियम के प्रारम्भ होने पर न्यूनतम अर्हता नहीं रखते हैं, उन्हें अधिनियम के
 प्रारम्भ होने के दिनाक से 5 वर्ष की अवधि में निर्धारित न्यूनतम अर्हता प्राप्त करनी होगी;
 - ि शिक्षकों को अधिनियम की धारा 24(1) के अधीन विनिर्दिष्ट कर्तव्यों का पालन करना होगा:
 - प्रायवेट टीचिंग की गतिविधियों में शिक्षक स्वयं भाग नहीं लेंगे/लेंगी।
- स्कूल समुचित पाधिकारी व्यारा निर्धारित पाठ्यचर्या का अनुसरण करेगा।
- स्वर्त राष्ट्र की धारा 19 में विहित किए अनुसार स्वर्ल में उपलब्ध सुतिधा के अनुपात में स्वर्ल में बच्चों का नामाकन किया जाएगा।

School Recognition Certificate generated and downloaded from Education Portal [www.educationportal.mp.gov.in]

• स्कूल व्दारा अधिनियम की धारा 19 में विनिर्दिष्ट स्कूल के मानक एवं मापदण्ड बनाए रखे जाएंगे। अंतिम निरीक्षण के समय स्कूल में उपलब्ध सुविधाएं निम्नानुसार पाई गयी:-

	सुविधाएँ		पोर्टल में दर्ज		वस्तिवक स्थित	
9	रगूल के भवन की स्थिति	स्वयं का	अवन		स्वयं का अवन	
9	स्कूल का कुल क्षेत्रफल (वर्ग फीट में)	355600			355600	
10	स्कूल का निर्मित क्षेत्रफल (वर्ग फीट में)	30600			30600	
11	चेल मैदान का क्षेत्रफल (वर्ग फीट में)	122500			122500	
ड.	अधोसंरचना का वि	वेवरण				
		Rooms as	पोर्टर	त में दर्ज	वास्त	विक स्थिति
	कक्ष	per RTE	संख्या .	औसत आकार (वर्ग फीट में)	संख्या	औसत आकार (वर्ग फीट में)
1	कक्षा आठवीं तक उपयोग में आ रहे कक्षा कक्ष		20	528	20	528
2	कार्यालय कक्ष-सह-अण्डार कक्ष-सह-प्रधानाध्यापक कक्ष		4	600	4	600
3	भोजनालय-सह-अण्डार		0	0	0	0
펍.	अन्य सुविधा	ाएँ			पोर्टल में दर्ज	वास्तविक स्थिति
1	क्या सभी सुविधाओं तक पहुंच बाधा रहित है हां/नहीं				हाँ	हाँ
	पठन पाठन सामग्री (हस्ताक्षरित सूची अपलोड करें)				हाँ	हाँ
3	खेलकूद एवं खेल उपकरण (हस्ताक्षरित सूची अपलोड करें)			हाँ	
4	पुस्तकों की संख्या	,			4225	3890
5	पी गएं/समाचार पत				4	4
	पेयजल सुविधा का प्रकार				Well	Well
	पेयजल सुविधा की संख्या				2	2
	शीय तथ का प्रकार (भारतीय/पश्चिमी/नहीं)				Western	Western
9	लड़कों के लिए पृथक शौचालयों की संख्या				10	10
10	लड़कियों के लिए पृथक शौचालयों की संख्या				10	10

- नेर्य अपरीक्षित किए जाएंगे तथा चार्टड एकाउन्टेंट व्दारा सत्यापित होंगे और उचित लेखा विवरण नियमों के अनुसार तैयार होगा। प्रत्येक लेखा में के विवरणों की एक प्रति प्रतिवर्ष जिला शिक्षा अधिकारी को भेजी जाएगी।
- आपकी स्कूल का मान्यता कोड नम्बर..21126249.. एवं डाईसकोड (DISE) 23210512175 है। इस कार्यालय के साथ पंत्राचार में यह कोड नम्बर संदर्शित किए जाएं।
- . ऐसी विपोर्ट और जानकारी स्कूल व्दारा प्रस्तुत की जाएगी, जो राज्य शिक्षा केन्द्र/जिला शिक्षा अधिकारी व्दारा समय-समय पर अपेक्षित की जाए और स्कूल राज्य सरकार/स्थानीय प्राधिकारी के ऐसे अनुदेशों का पालन करेगा, जैसा कि स्कूल के संचालन की कमियों को दूर करने के लिए अथवा मान्यता की शर्तों की निरन्तर पूर्ति सुनिधित करने हेतु जारी किए जाएं।
- . सोसायटी/न्यास, यदि कोई हो, के पंजीयन का नवीकरण किया जाएगा।
- · अन्य शर्त संलग्न उपाबंध "तीन" के अनुसार होंगी।

विक नाम बच्चों के लिए उपयुक्त शौंचालयों की संख्या क्या निका सुरक्षा प्रणाली उपलब्ध है ? हां/नहीं

भिष्णाम एवं जियम के उपबंधों और मान्यता की शर्तों का उल्लंबन पाए जाने तथा सिद्ध हो जाने पर मान्यता वापस ले ली जाएगी।

अवदीय,

जिला शिक्षा अधिकारी

जिला UJJAIN

मध्यप्रदेश

कार्यालय नगर पंचायत तराना, जिला - उज्जैन म. प्र

न.प /2019

10/01/2019

प्रमाण- पत्र

प्रमाणित किया जाता है की निकाय द्वारा मास्टरमाइंड इन्टरनेशनल स्कूल माकड़ोन रोड तराना का निरिक्षण किया गया जिसमे स्कूल परिसर में स्कूल स्टाफ एवम् छात्रों के उपयोग हेतु शुद्ध पेयजल की उचित व्यवस्था है।

अतः प्रमाण पत्र दिया जाता है।

मुख्य नगर पोलिका अधिकारी

नगर पंचायत तराना जिला - उज्जैन

कार्यालय नगर पंचायत तराना, जिला - उज्जैन म. प्र

क्रमांक न.प /2019

10/01/2019

प्रमाण- पत्र

प्रमाणित किया जाता है की निकाय द्वारा मास्टरमाइंड इन्टरनेशनल स्कूल माकड़ोन रोड तराना का निरिक्षण किया गया जिसमें सर्वजनों के स्वास्थ्य की द्रष्टि से सुलभ शोचालय एवम ड्रेनेज की उचित व्यवस्था है।

अतः प्रमाण पत्र दिया जाता है ।

La futudos

मुख्य नगरे पालिका अधिकारी कुरुख्य हर्न किला अधिकारी नगर पैचायत सरामा जिला अउन्जैन





अभिभावकों के ऊपर से आर्थिक भार हटाने के लिए स्कूल प्रशासन द्वारा पहल स्कूल फीस में भारी छूट 🔈 7987803022 4 से 5 माह की फीस माफ, आज ही स्कूल आकर जानकरी लें।

प्रतिवर्ष सरकार के आदेश अनुसार प्रतिवर्ष 10 प्रतिशत फीस वृद्धि की जावेगी ।

Class/कक्षा	Old Fees/पुरानी फीस	New Fees/नई फीस	Diffrence/ अंतर
Nursery/नर्सरी	16000 + BUS	8500	7500
LKG - UKG	16000 + BUS	9500	6500
1st - 2nd	17000 + BUS	10500	6500
3rd - 4th	18000 + BUS	11500	6500
5th - 6th	19000 + BUS	12500	6500
7th - 8th	20000 + BUS	13500	6500
9th	22000 + BUS	14000	8000
10th	25000 + BUS	14500	10500
11th	28000 + BUS	15500	12500
12th	30000 + BUS	16500	13500

APPENDIX - 10

MASTERMIND INTERNATIONAL SCHOOL

MAKDON ROAD, TARANA

ACADEMIC CALENDER Jan-22 Feb-22 09 JAN - GURU GOBIND SINGH JAYANTI 14 JAN - MAKAR SANKRANTI 05 FEB - VASANT PANCHAMI 26 JAN - REPUBLIC DAY 16 FEB - SANT RAVIDAS JAYANTI Mar-22 Apr-22 15 APRIL - GOOD FRIDAY 01 MARCH - MAHASHIVRATRI 14 APRIL - AMBEDKAR JAYANTI 18 MARCH - HOLI 14 APRIL - MAHAVEER JAYANTI 10 APRIL - RAM NAVMI May-22 Jul-22 02 MAY - EID UL FITR 09 JULY - BAKRA EID 16 MAY - BUDDHA POORNIMA 30 JULY - MOHARRAM Aug-22 Oct-22 11 AUGUST - RAKSHA BANDHAN 04 OCTOBER - MAHA NAVMI 15 AUGUST - INDEPENDENCE DAY 05 OCTOBER - DUSSEHRA 19 AUGUST - JANMASHTAMI 09 OCTOBER - MAHARSHI VALMIKI JAYANTI 31 AUGUST - GANESH CHATURTHI 22 to 26 OCTOBER - DIWALI VACATIONS Nov-22 Dec-22 08 NOVEMBER - GURUNANAK GURUPURAB 25 DECEMBER - CHRISTMAS

APPENDIX – 11

School Management Committee

S.N o.	Member's Name	Gender	Designation	Occupation	Address	Remark
1	Ashish Patidar	Male	Secretary	Service	Makdon Road, Tarana	School Principal
2	Mr. Vinod Khandariya	Male	President	Business	Saraswati Colony, Tarana	Parents
3	Mr. A.B. Pandey	Male	Member	Principal K.V. Ujjain	Ujjain	Boards Nominee for SMC
4	Mr. S.N. Panwar	Male	Member	Principal JNV Ujjain	Ghatiya	Boards Nominee for SMC
5	Mr. Padamsingh Chouhan	Male	External Member	Service	Totla Marg, Tarana	Principal Govt. Higher Secondary School
6	Ms. Kalpana Devda	Female	Member	House Wife	Malikhedi, Tarana	Parents
7	Ms. Manju Devda	Female	Member	House Wife	Shree Tokiz, Tarana	Parents
8	Ms. Nirmala Bai Kumawat	Female	Member	Service	Chhatri Bag, Tarana	Parents
9	Ms. Leena Sharma	Female	Member	Service	Mahakal Marg, Ujjain	School Teacher
10	Ms. Fatima Icchawar	Female	Member	Service	Indira Nagar, Ujjain	School Teacher
11	Mr. K.C. Lavre	Male	External Member	Service	Krishna Vihar, Tarana	Principal Govt. Higher Secondary School
12	Ms. Pooja Kumawat	Female	External Member	Service	Hospital Road, Tarana	Other School, Teacher



APPENDIX – 12

Parents Teachers Association (PTA)

S.No.	Name	Gender	Address	Remark
1	Anita Maheshwari	Female	Tarana	Teacher
2	Aditya Mundra	Male	Tarana	Parents
3	Dinesh Choudhary	Male	Sumrakheda	Parents
4	Megha Bajpai	Female	Tarana	Teacher
5	Abdul Vakil Shaikh	Male	Keswal	Parents
6	Rahul Bhati	Male	Tarana	Parents
7	Rupali Parmar	Female	Tarana	Teacher

APPENDIX – 13

RESULT CLASS: X

S.NO.	YEAR	NO. OF REGISTERED STUDENTS	NO. OF STUDETNS PASSED	PASS PERCENTAGE	REMARKS
1	2019	22	17	77.27 %	Good
2	2020	13	10	77 %	Good
3	2021	26	24	92%	Good

RESULT CLASS: XII

S.NO.	YEAR	NO. OF REGISTERED STUDENTS	NO. OF STUDETNS PASSED	PASS PERCENTAGE	REMARKS
1	2019	10	7	70 %	Good
2	2020	11	11	100 %	Good
3	2021	26	26	100 %	Good

APPENDIX - 14

MASTERMIND INTERNATIONAL SCHOOL MAKDON ROAD, TARANA

Name - Mr. Ashish Patidar

Designation – Principal

Mobile No. :- 7987803022

Email Id :- ashishpatidar.mmis@gmail.com

MAKDON ROAD , TARANA

TEACHERS QUALIFICATIONS

S.No.	Name of Teacher	Qualification
1	Ashish Patidar	B.sc, M.sc, B.ed
2	Kirti Patidar	PGDM, PGDCA, B.ed
3	Madhu Lalawat	MA, B.ed
4	Samrath Singh	BBA, MBA , B.ed
5	Ashok Chouhan	B.Tech, B.ed
6	Zaid Ahmed	M.SC, B.ed
7	Shubham Pandya	M.sc, D.eled, PGDCA
8	Shreeram Patidar	B.sc (CS), B.ed
9	Palkesh Soni	M.sc, PGDCA
10	Renuka Parmar	B.com, MA, B.ed
11	Rupali Parmar	BBA, D.eled
12	Padma Solanki	BA, MA, D.eled
13	Nikita Panwar	BA, MA
14	Vinita Dhande	BA, D.eled
15	Anita Maheshwari	BA, D.eled
16	Megha Bajpai	M.com, B.ed
17	Harinarayan Patel	BA
18	Vinita Gothi	MA, B.ed
19	Neelesh Prajapat	BA, BPED
20	Yadupati Bhatt	B.com, LLB, CS
21	Pankaj Dwivedi	B.com
22	Vijay Rao	Diploma in Music

MASTERMIND INTERNATIONAL SCHOOL , TARANA STUDENTS DETAILS

S.No.	Class	Section	Total Number of Students
1	NURSERY	ĺ	54
2	LKG		25
3	UKG		65
4	1		39
5	II	8	27
6	III		25
7	IV		25
8	V		35
9	VI	0	35
10	VII		24
11	VIII		31
12	IX		29
13	X		24
14	XI		25
15	XII		25
	TO	TAL	488